



क.रा.बी.नि
E. S. I. C

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE
पंचदीप भवन, सेक्टर 19-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़- 160019
PANCHDEEP BHAWAN, SECTOR 19-A, MADHYA MARG, CHANDIGARH-160019
Phone-0172-2544126, Email: rd-punjab@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in /www.esic.in

संख्या- A-33015/11/2022-Admin(38422)

दिनांक- 04.05.2026

वर्ष 2026 का कार्यालय आदेश संख्या 86/

OFFICE ORDER NO. 86 OF 2026

सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 18.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों पर निम्नलिखित कर्मचारी को नियमित आधार पर प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति देने का आदेश दिया है :-

The Competent Authority has ordered the promotion of the following official to the post of **Upper Division Clerk** on regular basis on the recommendations of the Departmental Promotion Committee meeting held on 18.12.2025 :-

क्र.सं./ S.no.	कर्मचारी का नाम व पदनाम, कर्मचारी संख्या / Name of the Official and Designation, Emp. ID सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री / Sh/Smt/Ku.	श्रेणी/ Category	चयनित श्रेणी/ Recommended Category	वर्तमान तैनाती / Present Posting
1.	अमरदीप सिंह, अ. श्रे. लिपिक 174845	अनु.जा.	अनु.जा.	क.रा.बी.नि आदर्श अस्पताल, लुधियाना

उपरोक्त कर्मचारी की प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित पदोन्नति, पदोन्नति की स्वीकृति के अध्यक्षीय पदोन्नत पद पर शामिल होने की तारीख से प्रभावी होगी।

The regular promotion of the above official to the post of **UDC** will take effect from the date of joining on the promoted post subject to acceptance of the promotion.

पदोन्नत कर्मचारी का वेतन सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल-4 में तय किया जाएगा। पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति की तारीख से एक महीने के भीतर एफआर 22 (आई) (ए) (1) के तहत वेतन के निर्धारण के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

The pay of the promoted official will be fixed in **Level-4** of the pay matrix of the 7th pay commission. The promoted official may exercise their option for fixation of pay under FR 22(I)(a)(1) within one month from the date of promotion.

कृपया ध्यान दें कि यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं, तो उनको एक वर्ष की अवधि के लिए नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा और जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी वरिष्ठता खो देंगे और प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर उपर्युक्त कर्मचारी की अगली पदोन्नति से पहले नियमित आधार पर पदोन्नत अन्य कनिष्ठ कर्मचारी उनसे वरिष्ठ हो जाएंगे।

Kindly note that if an Official decline the promotion, he/she will not be considered for regular promotion for a period of one year and resulting in loss of his/her seniority and the other junior officials promoted on regular basis prior to the next promotion of the above Official to the post of **Upper Division Clerk** will become

senior to them.

उपरोक्त कर्मचारियों की पदोन्नति विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 30621/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेशों और माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा द्वारा सी.डब्ल्यू.पी सं.13218/2009 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2011 और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के फैसले दिनांक 23-8-17 , ओ.ए. संख्या 060/1294/2021- विवेक कुमार बनाम निगम व अन्य संबंधित न्यायिक मामलों में आने वाले अग्रिम आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

The promotion of the above officials will be subject to further orders passed by the Hon'ble Supreme Court in Special Leave Appeal (C) no. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.7.2011 in CWP no. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana and arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.8.17, Subject to outcome of OA No. 060/1294/2021 titled Vivek Kumar Vs ESIC and other related court cases.

उपरोक्त कर्मचारी को फिलहाल उनके वर्तमान तैनाती स्थल पर ही पदोन्नत किया जा रहा है तथा प्रशासनिक आवश्यकता/व्यवहार्यता के अनुसार उनके स्थानांतरण/तैनाती आदेश यथासमय अलग से जारी किए जाएंगे।

The above official is promoted at his present place of posting for the time being only and his transfer/posting order will be issued separately in due course as per the administrative requirement/feasibility.

उपरोक्त कर्मचारी की कार्यग्रहण रिपोर्ट सभी संबंधितों को अग्रेषित की जाए।

The joining report of the above official may be forwarded to all the concerned.

Digitally signed by
PARGAT SINGH

उप-निदेशक (प्रशा.) / DATE: 04.05.2026
BY: DIRECTOR (ADMN)
15:28:40

सेवा में, / To,

संबंधित कर्मचारी / The Official concerned.

प्रतिलिपि / CC:

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि आदर्श अस्पताल, लुधियाना को सूचनार्थ व अपेक्षित कार्रवाई हेतु/ MS, ESICMH, Ludhiana for information.
2. रोकड़/ वित्त शाखा/ सतर्कता शाखा/भर्ती शाखा/ पी.आर. शाखा को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ निजी फाईल/ का. आदेश फाईल, क.रा.बी.नि, क्षे.का. पंजाब | Cash/ Accounts Vigilance branch/Rectt. branch/PR Branch to upload on website/ P.File/ Office Order File, ESIC, RO, Punjab